# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

## कार्यालयः–मुख्य प्रबंधक,अजयमेरू आगार अजमेर।

### निविदा सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजयमेरू आगार अजमेर के अधीन निम्न नसीराबाद बस स्टेंड पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु निगम की शर्तो पर लाइसेंसी /ठेकेदार नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक **15.03.2023 को अपरान्ह 14:30 बजे** तक बंद लिफाफे में निविदाऐ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन **15:15** बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण तथा बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नही किये जावेंगे।

| क0स0 | स्थान का नाम | बस स्टेड / कार्यशाला | आगार | होर्डिगस 20X10 | पिलर बोर्ड 04X03 | साइन बोर्ड 06X02 | ग्लोसाइन बोर्ड 06X02 | न्यूनतम निविदा दर(प्रतिमाह) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | नसीराबाद | बस स्टेड | अजयमेरू | 5 | 5 | 5 | 2 | 12200/– |
| | | | | | | | | |

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होगी'

निविदा प्रपत्र राशि नकद रूपये 200/– (जीएसटी अतिरिक्त)जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय समय मे दि 10.03.2023. से 15.03.2023. को अपरान्ह 14.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

1. निविदा धरोहर राशि बस स्टेड नसीराबाद के लिए रू 20,000/– जरिए डिमांड डाफट जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजयमेरू आगार अजमेर के नाम भुगतान योग्य हो तथा नकद भी कार्यालय में भी जमा करवायी जा सकेगी।
2. नसीराबाद बस स्टेड के लिए प्रथमतः तीन वर्ष के अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है तत्पश्चात निगम नियमानुसार अनुबंध नवीनीकरण अथवा समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
3. निविदा स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत लाइसेंस राशि 07 दिवस में निगम कोष में जमा करानी होगी
4. निविदा स्वीकृत होने पर एक मुशत राशि जमा कराने के पश्चात निविदादाता को 500/– रू के स्टाम्प पर निगम से अनुबंध करना होगा तत्पश्चात निगम की अनुमति से कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
5. आम चुनाव लोकसभा/विघान सभा के दौरान प्रचार प्रसार होर्डिग्स बेनर आदि पर निगम का पूर्ण नियंत्रण रहेगा
6. निविदादाता द्वारा अपने लाइसेंस का किसी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा
7. राज्य सरकार/केंन्द्र सरकार/न्यायालय/चुनाव आयेग या जिला प्रशासन द्वारा प्रदत आदेश अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण से उक्त बोर्ड हटवाये या उतरवाये जाते है तो इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी।
8. यह कार्यालय राजकीय हित/निगम हित में उक्त अनुबंध समय से पूर्व समाप्त कर सकता है । निविदादाता को इस हेतू अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी इस संबंध मे लाइसेंसी कोई दावा नही कर सकेगा
9. महिला अपशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा। उक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा उक्त सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर न्याय क्षेत्र अजमेर होगा

Sd

**मुख्य प्रबंधक**
**अजयमेरू आगार,अजमेर**

**क्रमांकः मु0 प्र0/अजय/लेखा/2023/** 189 **दिनांक :–** 28**.02.2023**

प्रतिलिपि--निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हित

1. श्रीमान कार्यकारी प्रबंधक(जनसंपर्क) रा0रा0प0प0नि0 मुख्यालय जयपुर को मय यूबीएन नम्बर RTC 2223SSO B00721 प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र के अजमेर/प्रादेशिक संस्करण में प्रकाशित करवाये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रकाशित सूचना वास्ते रिकार्ड उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
2. श्रीमान ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर (आई0टी0) मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना निगम वेबसाइट पर डलवाने का श्रम करावे।
3. श्रीमान सहायक लेखा0 (सं.– विज्ञापन) मुख्यालय जयपुर
4. नोटिस बोर्ड आगार कार्यालय/सी0बी0एस0 अजमेर/बुकिंग प्रभारी बस स्टेड नसीराबाद
5. रोकडिया भुगतान को प्रेषित कर लेख है कि रू 200/–(जीएसटी अतिरिक्त) प्रतिनिविदा प्रपत्र की रसीद जारी करने के उपरांत संबंधित पक्षकार को निविदा प्रपत्र उपलब्ध करावें एवं विक्रय किये गये फार्म का स्टालवार विवरण लेखाकार राजस्व को उपलब्ध करावे।
6. आदेश/निजीपत्रावली

**मुख्य प्रबंधक**
**अजयमेरू आगार,अजमेर**

I-T.524
01/03/23